



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 10, बुधवार, शाके 1942- जुलाई 1, 2020
Asadha 10, Wednesday, Saka 1942- July 1, 2020

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 1, 2020

संख्या प.4(9)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 7)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (114) के विद्यमान उप-खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "का प्रदाय" से पूर्व अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के किसी अंतरराज्यिक जावक" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(iii) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के किसी प्रदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "नामे नोट संबंधित है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छा से कराये गये रजिस्ट्रीकरण को छोड़ने का आशय रखता है;"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायें, ऐसी कालावधि,-

(क) अपर आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिवस से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अतिरिक्त तीस दिवस से अनधिक की और कालावधि के लिए,

बढ़ायी जा सकेगी।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) ऐसी सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में कर बीजक ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, जारी किया जायेगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में-

- (i) प्रदाय के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जायेगा; या
- (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।"

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, जारी किया जायेगा।"; और

(ख) विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1क) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) के अंतर्गत आने वाले किसी संव्यवहार का फायदा प्रतिधारित करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किये गये या हस्तान्तरित इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम की शास्ति का दायी होगा।"

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 132 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो कोई भी निम्नलिखित किन्हीं अपराधों में से किसी अपराध को कारित करता है या कारित करवाता है और उससे उद्भूत फायदों को प्रतिधारित करता है" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है"; और

(iii) उप-खण्ड (ड) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग" हटायी जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 140 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रकम, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा करने का हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रकम की जमा, यदि कोई हो, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रणीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति से नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस लेने को समाप्ति कालावधि के लिए हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", जो नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी में अग्रणीत नहीं की गयी है, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ग) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिवस को मूल्य परिवर्धित कर के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियत दिवस को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा को, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(घ) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्य परिवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मूल्य परिवर्धित कर की जमा, यदि कोई हो, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए किया गया है कि" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ङ) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिवस को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित माल के इनपुट को स्टॉक में धारित स्टॉक और इनपुट के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संदाय कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियत दिवस को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा

को, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 172 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो," और खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो," हटायी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से हटायी हुई समझी जायेगी।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 1, 2020

No. F.4(9)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 7) promulgated by him on the 1st day of July, 2020:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Ordinance No. 7 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 1st day of July, 2020)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance and any reference in any such provision to the commencement of this Ordinance shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-clauses (c) and (d) of clause (114) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;”.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 10 of the principal Act,-

(i) in clause (b), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “which are”, the expression “or services” shall be inserted;

(ii) in clause (c), after the existing expression “of goods” and before the existing punctuation mark (;), the expression “or services” shall be inserted; and

(iii) in clause (d), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “through an”, the expression “or services” shall be inserted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the existing expression “invoice relating to such” shall be deleted.

5. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:”.

6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(ii) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.

7. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing proviso to sub-section (2) of section 31 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.”.

8. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 51 of the principal Act,—

(a) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.”; and

(b) the existing sub-section (4) shall be deleted.

9. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.

10. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,—

(i) for the existing expression “Whoever commits any of the following offences”, the expression “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences” shall be substituted;

(ii) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely:—

“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause

(b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;

(iii) in sub-clause (e), the existing expression “, fraudulently avails input tax credit” shall be deleted.

11. Amendment of section 140, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a) in sub-section (1), after the existing expression “existing law” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the existing expression “appointed day” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (3), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (5), for the existing expression “existing law”, the expression “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted; and

(e) in sub-section (6), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.

12 Amendment of section 172, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (1) of section 172 of the principal Act, for the existing expression “three years”, the expression “five years” shall be substituted.

13. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In paragraph 4 of Schedule II of the principal Act, the existing expression “whether or not for a consideration,” wherever occurring, shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

कलराज मिश्र,

Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.